

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 22, 2016/माघ 2, 1937

No. 27]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 22, 2016/MAGHA 2, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2016

(पाटनरोधी मध्यावधि समीक्षा जांच)

विषय : ईरान, सऊदी अरब और यूएसए के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कास्टिक सोडा के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा (एमटीआर) की शुरूआत।

एफ. संख्या 15/19/2015-डीजीएडी.—जबकि 1995 में और उसके पश्चात यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए,

1. जबकि निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) ने भारत में कास्टिक सोडा के घरेलू उत्पादकों मै. डीसीडब्ल्यू लि., मै. गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लि., ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लि., श्रीराम फर्टीलाइजर्स एंड केमिकल्स लि., आदित्या बिरला केमिकल्स (इंडिया) लि., तथा श्रीराम अल्कली एंड केमिकल्स लि. की ओर से मैसर्स अलकाली मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएमएआई), दिल्ली से प्राप्त आवेदन के आधार पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क के लगाए रखने को जारी रखने की आवश्यकता की जांच करने के लिए दिनांक 02 सितंबर, 2011 की अधिसूचना संख्या 15/28/2010-डीजीएडी के तहत ईरान, सऊदी अरब, जापान, यूएसए और फ्रांस से कास्टिक सोडा

(सोडियम हाइड्रॉक्साइड), (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है), के आयात पर लागू पाटनरोधी शुल्क की पहले दूसरी निर्णायक समीक्षा शुरू की थी।

2. और जबकि की गई जांच के आधार पर 31 अगस्त, 2012 की अधिसूचना संख्या 15/28/2010-डीजीएडी के तहत प्राधिकारी द्वारा स्थायी शुल्क की सिफारिश की गई थी और 26 नवंबर, 2012 की अधिसूचना संख्या सीयूएस एनटीएफ संख्या 49/2012 के तहत केवल सऊदी अरब, ईरान और यूएसए से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर केंद्र सरकार द्वारा स्थायी पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

क. मध्यावधि समीक्षा की शुरूआत के लिए अनुरोध

3. जबकि सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 और उसके तहत बनाई गई पाटनरोधी नियमावली, समय-समय पर यथासंशोधित, के अनुसार जहां हो, स्वयं अपनी पहल पर अथवा किसी हितबद्ध पक्षकार, जिसने इस प्रकार की समीक्षा के लिए सकारात्मक सूचना की पुष्टि करने की आवश्यकता के लिए अनुरोध किया है और स्थायी पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद एक औचित्यपूर्ण अवधि समाप्त हो गई है, पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी को समीक्षा करनी होती है।

4. और जबकि कास्टिक सोडा के उत्पादकों की एक एसोसिएशन अलकाली मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली ने सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क के अनुसार ईरान के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयात पर लागू उपरोक्त पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा करने के लिए अनुमति मांगी है। उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ दावा किया है कि वे परिस्थितियां, जो मूल जांच की जांच-अवधि के दौरान विद्यमान थी, काफी परिवर्तित हो गई हैं और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें ईरान के विरुद्ध मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

ख. समीक्षा के लिए आधार

5. आवेदक ने अनुरोध किया है कि कच्चे माल की लागतों और यूटिलिटियों की लागत आदि में वृद्धि के कारण क्षतिमार्जिन काफी बढ़ गया है, परंतु ईरान से आयात कीमत उस अनुपात में नहीं बढ़ी है जिससे क्षति मार्जिन बढ़ गया है। आवेदक ने आगे अनुरोध किया है कि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क क्षति मार्जिन पर आधारित है और चूंकि क्षति मार्जिन में काफी वृद्धि हो गई है और इसलिए ईरान पर पाटनरोधी शुल्क की मात्रा बढ़ाने के लिए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि लागत और कीमत ढांचे में परिवर्तन के कारण पाटन मार्जिन भी काफी परिवर्तित हो गया है और इसलिए लागू शुल्क की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

ग. समीक्षा की शुरूआत:

6. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी की जांच की है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि केवल ईरान, सऊदी अरब और यूएसए के मूल की अथवा से निर्यातित वस्तुओं के लिए शुल्क लागू है और शुल्क 25 नवंबर, 2017 से वैध है। तथापि, घरेलू उद्योग द्वारा उल्लिखित परिवर्तित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदकों ने केवल ईरान के मूल की अथवा से आयातित संबद्ध वस्तुओं के लिए लागू पाटनरोधी शुल्क की मात्रा की समीक्षा करने के लिए अनुरोध किया है। इसलिए प्राधिकारी का मत है कि लागत और कीमत ढांचे में परिवर्तनों और इसलिए पाटन और क्षति दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए उन सभी देशों, जिनमें शुल्क लागू है अर्थात् ईरान, सऊदी अरब और यूएसए के लिए लागू शुल्क की विस्तृत समीक्षा करना उपयुक्त है।

7. परिवर्तित परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सकारात्मक सूचना को ध्यान में रखते हुए लागू उपायों की समीक्षा किए जाने की जरूरत है। इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी अब मानते हैं कि लागू उपायों की मध्यावधि समीक्षा आवश्यक है और इसलिए उपर्युक्त नियमावली की शर्तों के अनुसार 26 नवंबर, 2012 की अधिसूचना संख्या सीयूएस एनटीएफ संख्या 49/2012 के तहत ईरान, सऊदी अरब और यूएसए के मूल की अथवा से आयातित संबद्ध वस्तुओं के आयात पर लगाए गए लागू पाटनरोधी शुल्क की एतद्वारा व्यापक समीक्षा शुरू करते हैं। चूंकि पूर्ववर्ती शुल्क अधिसूचना में जापान कोई शुल्क नहीं लगाता है। इसलिए यह समीक्षा जापान से आयात को शामिल नहीं करेगी।

8. समीक्षा में पाटन, क्षति और आकस्मिक कारक के सभी दृष्टिकोणों को शामिल किया जाएगा और याचिकाकर्ताओं द्वारा कथित परिवर्तित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शुल्क की मात्रा में वृद्धि करने अथवा कमी करने की आवश्यकता सहित शुल्क लगाने को जारी रखने की आवश्यकता की जांच करेगा। समीक्षा इस बात की भी जांच करेगी कि शुल्क का प्रतिसंहरण किया जाता है अथवा बदला जाता है तो घरेलू उद्योग के लिए क्षति जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति अथवा दोनों की संभावना है।

घ. संबद्ध उत्पाद और वर्गीकरण:

9. वर्तमान जांच में संबद्ध उत्पाद सोडियम हाइड्रॉक्साइड है, (रासायनिक नाम NaOH), जिसे आम तौर पर सभी रूपों में कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है।

10. कास्टिक सोडा एक अजैविक साबुन की तरह, सुदृढ़ ऐल्कालाइन और गंधरहित रसायन है और लुगदी एवं कागज, न्यूजप्रींट, विस्कोस यार्न, स्टेपल फाइबर, एल्युमीनियम, कॉटन, टेक्सटाइल, टॉयलेट और लांड्री शॉप, डिटर्जेंट, डाईस्टफ्स, ड्रग्स, और फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोलियम रिफाइनिंग आदि के निर्माता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। कास्टिक सोडा तीन प्रौद्योगिकीय प्रक्रियाओं अर्थात् मरकरी सेल प्रक्रिया, डायोफ्रागम प्रक्रिया और मेम्ब्रेन्स प्रक्रिया द्वारा द्रव और ठोस दो रूपों में उत्पादित किया जाता है। विभिन्न विशिष्टताओं की दृष्टि से इन प्रक्रियाओं में अंतर से उत्पाद में कोई अंतर नहीं होता।

11. कास्टिक सोडा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के अंतर्गत सीमाशुल्क शीर्ष 2815.11 और 2815.12 के अंतर्गत वर्गीकृत है। आईटीसी के 8 अंकों के वर्गीकरण के अनुसार उत्पादक को सीमाशुल्क शीर्ष 2815.1110, 2815.1120 और 2815.1200 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि, वर्गीकरण मात्र संकेतात्मक है और किसी भी तरीके से वर्तमान जांच के कार्यक्षेत्र में अनिवार्य नहीं है।

ङ. शामिल देश:

12. वर्तमान समीक्षा जांच में शामिल देश/क्षेत्र ईरान, सऊदी अरब और यूएसए हैं।

च. जांच की अवधि:

13. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अक्टूबर, 2014 से 30 सितम्बर, 2015 तक (12 महीने) की है। तथापि, क्षति के विश्लेषण में वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 और (पीओआई) शामिल होंगे।

छ. सूचना प्रस्तुत करना:

14. संबद्ध देशों/क्षेत्रों में निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों/उच्चायोगों के जरिए उनकी सरकारों, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने तथा प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है:-

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
जीवन तारा बिल्डिंग, चौथा तल,
5, संसद मार्ग,
नई दिल्ली- 110001

15. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है।

ज. समय-सीमा:

16. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना इस समीक्षा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी उपरोक्त नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

झ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना:

17. प्रश्नावली उत्तरों/अनुरोधों के किसी भाग पर गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे अनिवार्यतः दो पृथक सेटों (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सेट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) तथा (ख) अगोपनीय रूप से अंकित दूसरा सेट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) में प्रस्तुत करना चाहिए। दी जाने वाली सभी सूचना के प्रत्येक पृष्ठ के सबसे ऊपर गोपनीय अथवा अगोपनीय स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए।

18. ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी इस प्रकार की अगोपनीय सूचना की जांच करने के लिए अन्य हितबद्ध पक्षों को अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होगा। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय की दो (02) प्रतियां तथा अगोपनीय पाठ की पांच (05) प्रतियां अवश्य प्रस्तुत की जाएं।

19. गोपनीय के रूप में दावा की गई सूचना के लिए सूचना प्रस्तुत करने वाले को प्रस्तुत की गई सूचना सहित यह कारण उपलब्ध कराना अपेक्षित होगा कि इस प्रकार की सूचना को किस तरह से प्रकट नहीं किया जा सकता और/अथवा इस प्रकार की सूचना का सारांश बनाना किस प्रकार से संभव नहीं है।

20. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई/सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है, प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

21. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

22. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और स्वीकार करने पर प्राधिकारी इस प्रकार की सूचना उपलब्ध कराने के लिए पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को प्रकट नहीं करेगा।

अ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

23. नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

ट. असहयोग

24. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को इस प्रकार यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

ए. के. भल्ला, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2016

(Mid Term Review Antidumping Investigation)

Subject: Initiation of Mid Term Review (MTR) of the anti-dumping duties in force on the imports of Caustic Soda originating in or exported from Iran, Saudi Arabia and USA.

F. No. 15/19/2015-DGAD – Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and thereafter (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules).

1. Whereas the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) had earlier initiated 2nd Sunset Review of the anti-dumping duty in force on import of Caustic Soda (Sodium Hydroxide) (hereinafter referred to as subject goods) from Iran, Saudi Arabia, Japan, USA and France vide Notification No.15/28/2010-DGAD dated 2nd September, 2011, to examine the need for continued imposition of antidumping duty on the subject goods from the said countries on the basis of an application received from M/s Alkali Manufacturers Association of India (AMAI), Delhi, on behalf of the domestic producers of caustic soda in Indian, namely M/s DCW Ltd, M/s Gujarat Alkalies and Chemicals Ltd, Grasim Industries Ltd. Shriram Fertilizers and Chemicals Ltd, Aditya Birla Chemicals (India) Ltd., and Shriram Alkali and Chemicals Ltd.

2. And Whereas on the basis of investigation carried out definitive duties were recommended by the Authority vide Notification No. No.15/28/2010-DGAD dated 31st August, 2012 and definitive antidumping duties were imposed by the Central Government on the imports of the subject goods from Saudi Arabia, Iran, and USA only, vide Notification No. CUS NTF No. 49/2012 dated 26th November, 2012.

A. Request for initiation of Mid Term Review

3. Whereas, the Customs Tariff (Amendment) Act 1995 and the AD Rules made thereunder, as amended from time to time, require the Designated Authority to review, from time to time, the need for continued imposition of anti-dumping duty where warranted, on its own initiative or upon request by any interested party who submits positive information substantiating the need for such review, and a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive anti-dumping duty.

4. And Whereas Alkali Manufacturers Association of India, New Delhi, an association of producers of Caustic Soda, has sought a midterm review of the above anti-dumping duties in force on the imports of the subject goods originating in or exported from Iran in accordance with section 9A of the Customs Tariff Act 1975 read with Rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995. They have *inter alia* claimed that the circumstances that were prevalent during the period of investigation of the original investigation have changed significantly leading to a situation where the existing anti-dumping duties against Iran need to be reviewed.

B. Grounds for review

5. The Applicant has submitted that the injury margin has increased significantly due to increase in raw material cost, cost of utilities etc. But import price from Iran has not increased in that proportion thereby widening the injury margins. The applicant has further submitted that present anti dumping duty is based on injury margin and since injury margin has significantly increased, the anti dumping duty is required to be reviewed in order to enhance the quantum of anti dumping duty on Iran. They have also submitted that due to change in cost and price structure the dumping margins have also significantly changed necessitating a review of the duties in force.

C. Initiation of the Review

6. The Authority has examined the information submitted by the applicant. The Authority further notes that the duty is in force against the goods originating or exported from Iran, Saudi Arabia and USA only and the duties are valid till 25th November 2017. Though the applicants have requested for review of the quantum of antidumping duty in force against the subject goods originating in or exported from Iran only, in view of the changed circumstances as stated by the domestic industry, the Authority is of the view that keeping in view the changes in cost and price structure and therefore, dumping and injury aspects, it is appropriate to carry out a comprehensive review of the duty in force against all the countries on which the duties are in force i.e., Iran, Saudi Arabia and USA.

7. Having regard to the positive information provided by the applicants indicating changed circumstances necessitating a review of the measure in force, the Designated Authority now considers that a mid-term review of the measures in force is warranted and therefore, hereby initiates a comprehensive review of the antidumping duty in force against the import of the subject goods originating in or exported from Iran, Saudi Arabia and USA, imposed vide Notification No. CUS NTF No. 49/2012 dated 26th November, 2012, in terms of the Rules supra. Since Japan did not attract any duty in the earlier duty notification, this review will not cover the imports from Japan.

8. The Review shall cover all aspects of dumping, injury and causal link and shall examine the need for continued imposition of the duties, including the need for enhancement or reduction of quantum of duty in view of the changed circumstances as alleged by the petitioners. The review shall also examine whether the injury to the domestic industry is likely to continue or recur or both if the duties are revoked or varied.

D. Product under consideration and Classification

9. The product under consideration in the present investigation is Sodium Hydroxide (chemical nomenclature NaOH), commonly known as Caustic Soda in all forms.

10. Caustic soda is an inorganic, soapy, strongly alkaline and odorless chemical and finds application in various fields like manufacture of pulp and paper, newsprint, viscose yarn, staple fiber, aluminum, cotton, textiles, toilet and laundry soaps, detergent, dyestuffs, drugs and pharmaceuticals, petroleum refining etc. Caustic soda is produced in two forms, i.e., lye and solids by three technological processes, i.e., mercury cell process, diaphragm process and membrane process. The difference in these processes does not lead to a difference in product in terms of various characteristics.

11. Caustic soda is classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act, 1975 under Customs Head 2815.11 and 2815.12. As per ITC eight digit classifications, the product is classified under the Customs Heading 2815.1110, 2815.1120 and 2815.1200. The classification is however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

E. Countries involved

12. The countries/regions involved in the present review investigation are Iran, Saudi Arabia and USA.

F. Period of Investigation

13. The period of investigation for the purpose of the present review is 1st October 2014 to 30th September 2015 (12 months). However, injury analysis shall cover the years 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 and (POI). The investigation will cover both dumping and injury.

G. Submission of Information:

14. The exporters in subject countries/regions, their Governments through their Embassies/High Commissions in India, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner as prescribed and to make their views known to the Authority in the following address:

The Designated Authority
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
Ministry of Commerce and Industry
Department of Commerce
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5 Parliament Street
New Delhi-110001

15. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

H. Time Limit

16. Any information relating to the present review should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this review notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

I. Submission of information on confidential basis

17. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

18. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

19. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

20. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential, version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

21. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

22. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

J. Inspection of Public File

23. In terms of Rules 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

K. Non-Cooperation

24. In case any interested party refuses access to or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

A.K.BHALLA, Designated Authority